बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(कल्याण शाखा)

Ph. No.-06189-223241(O)
Fax No.-06189-223301
Email- dwo-bha-bih@nic.in

-:अल्पकालीन निविदा सूचना:-

निविदा संख्या-02/2021-22

कैमूर जिला अंर्तगत संचालित अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय उच्च/मध्य विद्यालय, भभुआ, कुदरा, देवरी, बडगॉवखूर्द, सेमरा, मसानी, कोल्हुआ, आथन एवं सड़की तथा अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास संख्या-01, 02, 03 एवं अनु0 जनजाति कल्याण छात्रावास संख्या-04/बाबु जगजीवन राम अनु0 जाति बालिका छात्रावास, भभुआ/बाबु जगजीवन राम अनु0 जाति बालक छात्रावास, मोहनिया एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, भभुआ में संख्या-रात्रि प्रहरी-3 (8-8 घंटा का तीन पाली में 1-1 सुरक्षा प्रहरी द्वारा सुरक्षा का कार्य किया जाना है) एवं झाडुदार-4 (6-6 घंटा की 2(दो) पाली अर्थात् 6.00AM-12.00AM एवं 12.00AM-06.00PM तक में 2-2 झाडुदार के द्वारा सफाई कार्य किया जाना है) के अनुसार वर्ष-2021-22 के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी की आवश्यकता है।

इच्छुक मान्यता प्राप्त एजेंसी से मुहरबन्द लिफाफा में निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग) सिर्फ भारतीय डाक (स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री) जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण कार्यालय, कैमूर-821101 में दिनांक-27/01/2021 के अपराह्न 04:00 तक आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 29/01/2021 को 01:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस निविदा के संबंध में पूरी जानकारी जिले के NIC के वेबसाईट https://kaimur.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में कार्यालय से सम्पर्क कर भी विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

निविदा का आवश्यक शर्तें-

1. बिहार सरकार के द्वारा निबंधित कम्पनी/प्रतिष्ठान/एजेन्सी निविदा दे सकते है।
2. कम्पनी/प्रतिष्ठान/एजेन्सी को बिहार सरकार, गृह विभाग, बिहार द्वारा सुरक्षा एजेन्सी निबंधित अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निबंधित होना आवश्यक है। निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।
3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र के स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं संस्थान में कार्यरत कर्मी/पदाधिकारी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनुलग्न करना होगा।
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र के स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य है।
5. आपके संगठन में कैमूर जिले से संबंधित कर्मियों का स्थायी पता सहित मोबाईल नम्बर अनुलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा।
7. सरकार द्वारा निर्गत जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र एवं जी0एस0टी0 चलान अद्यतन माह तक अनुलग्नक किया जाना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को एजेन्सी/प्रतिष्ठान/प्रोपराईटर के नाम से पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. अग्रधन राशि-50,000/-(पचास हजार) रूपया मात्र का प्रत्येक विद्यालय एवं छात्रावास के लिए अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर के पदनाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. काली सूची में दर्ज नहीं होने का एवं किसी न्यायालय में किसी प्रकार का मामला लंबित न हो या दंडित न हुए हों के संबंध में शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. संबंधित एजेन्सी का अपना चरित्र प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित निविदादाता के गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. निविदादाता को एकरारनामा 01 वर्षो के लिए किया जाएगा, किन्तु उनके कार्य गुणवक्ता/मुल्यांकन के आधार पर अनुबंध विस्तार किया जाएगा।

13. निविदादाता को निविदा के समय विहित प्रपत्र में वित्तीय तुलनात्मक विवरणी देनी होगी।

क्र0	मान्यता प्राप्त एजेन्सी का नाम	कोटि	कार्य दिवस	दर प्रति दिन (निविदा के अनुसार)	मासिक दर	EPF @ 13%	ESI @ 3.25%	Releaving Charge	योग (6+7+8)	Service Charge	कुल (10+11)	GST 18%	कुल योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		सफाई कर्मी											
		सुरक्षा गार्ड											

14/12/20

जिला कल्याण पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

14-12-20

21.12.2020

उप विकास आयुक्त,
कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक....2376..../क0, दिनांक 21./12./2020

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, कैमूर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/20

जिला कल्याण पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

14-12-20

21.12.2020

उप विकास आयुक्त,
कैमूर (भभुआ)।